

न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर
अपील भरण पोषण संख्या 86/2025 (GCMS : 2025/373)

नसीब कौर पत्नी श्री सुखदेव सिंह उम्र 75 वर्ष जाति जटसिख निवासी 6 पी एस तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर (राज.)

बनाम

1. जगसीर सिंह पुत्र श्री सुखदेव सिंह जाति जटसिख निवासी 6 पीएस तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर मोबाईल नम्बर- 81048-99838
2. सुखदेव सिंह पुत्र श्री जंग सिंह जाति जटसिख निवासी 6 पीएस तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर
3. जसवीर कौर पत्नी जगसीर सिंह जाति जटसिख निवासी 6 पीएस तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर
4. कुलदीप सिंह पुत्र सुखदेव सिंह जाति जटसिख निवासी 6 पीएस तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर
5. सर्वजीत कौर पुत्री श्री सुखदेव सिंह पत्नी श्री जसवन्त सिंह जटसिख निवासी 6 पी एस तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर




01.05.2026

अपीलार्थिया नसीब कौर एवं रेस्पोंडेंट संख्या 01 जगसीर सिंह उपस्थित हुए। उन्हें सुना गया। अपीलार्थिया नसीब कौर ने निवेदन किया कि उनके द्वारा उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर के आदेश दिनांक 30.06.2025 की अप्रसन्नता से यह अपील पेश की थी। अपीलार्थिया का अप्रार्थीगण से पंचायती राजीनामा हो गया है। अप्रार्थीगण ने प्रार्थिया को राजीखुशी बसाने से स्वीकार कर लिया है तथा प्रार्थिया की जमीन पर जो अप्रार्थीगण ने स्थगन आदेश प्राप्त किया हुआ है वह स्थगन आदेश अप्रार्थीगण कैसल करवाने को राजी हो गये हैं। इसलिए उनके प्रकरण को राजीनामा के आधार पर निस्तारण करने की प्रार्थना की है।

मैंने, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थिया ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर के आदेश दिनांक 30.06.2025 के विरुद्ध पेश की थी। अब पक्षकारों का आपस में पंचायती राजीनामा हो गया है इसलिए वे इस अपील को आगे नहीं चलाना चाहती है। अपीलार्थिया ने प्रार्थना पत्र एवं राजीनामा की प्रति पेश की है, जो पत्रावली में उपलब्ध है। अतः राजीनामा के आधार पर यह अपील भरण पोषण खारिज करने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर यह अपील भरण पोषण खारिज की जाती है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 01.05.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(डॉ. अमित यादव)

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

